श्री सभापतिः आप बस एक का जवाब दे दीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, एक तो उन्होंने मैपिंग की बात की। तो मैं बता रहा हूँ कि हम सारे देश में persons with disabilities के criteria में जो आते हैं, उनका identification करके उनका परिचय पत्र बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, उनको चिकित्सा सुविधा और पढ़ाई की दृष्टि से, स्वाबलम्बी बनाने की दृष्टि से और मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से प्रयत्न किया जा रहा है।

हमारे अनेक संस्थान हैं, जहां शैक्षणिक सुविधा दी जाती है, चिकित्सा सुविधा दी जाती है, प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है और उनको पुनर्वासित करने की सुविधा भी दी जा रही है। हम उसमें और बढ़ोतरी करेंगे।

Discrimination in selection of smart cities

*82 DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government is aware that non-transparent methods, discrimination and political consideration are being adopted in the selection of areas for development as smart cities, if so, the details thereof;

(b) the reasons for not selecting any cities in some States, particularly in States ruled by opposition parties; and

(c) the tangible initiations being taken by Government in defence of its proclamation of list of smart cities?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. The selection of areas (area-based development) is done by the potential Smart Cities. From the Smart City Proposals submitted by the Cities, it is seen that the Cities have used a combination of criteria, for selecting areas such as economic activity, land use, land monetization and location of heritage and tourism areas. The selection has also involved citizen consultations, meetings with public representatives, desk research, analysis, etc.

(b) In Stage 1 of the Competition, 98 potential Smart Cities were selected based on the recommendations of the State Governments on objective criteria. In Stage 2, Smart City Proposals were evaluated by a Panel of Experts, on the basis of set criteria given in Smart Cities Mission Statement and Guidelines. The scoring was done impartially and 20 top scoring cities have been selected for funding in the current financial year (2015-16). The Smart Cities Mission Statement and Guidelines and the scoring of 97 cities are available on Mission's website (*www.smartcities.gov.in*).

1.00 P.M.

(c) In order to spread the message of urban transform-nation in all parts of the country, 23 cities located in the remaining 23 States/UTs in which none of the potential smart cities were able to come in the list of 20 winning cities, have been provided an opportunity to upgrade their proposal on fast track and submitted by 15th April, 2016. These Cities are being provided assistance to upgrade their SCPs and a one day workshop was organised in New Delhi on 22 February, 2016 which was attended by Principal Secretary (UD)/ Municipal Commissioners or representatives of these cities.

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः सभापति महोदय, जो आंसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उससे पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। मैं इससे इसलिए असंतुष्ट हूँ, क्योंकि जो क्राइटेरिया स्मार्ट सिटी सेलेक्शन के लिए अपनाया गया ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Silence, please.

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः मंत्री जी के अनुसार, आर्थिक कार्यकलाप, भूमि उपयोग, भूमि मुद्रीकरण, पर्यटन क्षेत्र— यह सब क्राइटेरिया है, जिसके चलते स्मार्ट सिटीज़ का चयन किया गया। उसके साथ ही, नागरिकों के साथ विमर्श और जन प्रतिनिधियों के साथ विमर्श की बात कही गयी है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ यह कहना है कि मैं झारखंड से आता हूँ और मेरी जानकारी में जो स्मार्ट सिटीज़ के लिए तीन शहर चुने गये थे, वहां किसी भी जन प्रतिनिधि से कोई बातचीत नहीं हुई है।

श्री सभापतिः आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। समय खत्म हो रहा है।

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः किसी जन प्रतिनिधि से बात नहीं हुई है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह जो आपका सेलेक्शन का क्राइटेरिया है, वह पूरी तरह से भेदभाव से प्रेरित है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगली बार आप जो सेलेक्शन करें, तो निश्चित रूप से जो जन प्रतिनिधि हैं तथा अन्य नागरिकों से जो विमर्श की बात है, उन सब प्रक्रियाओं से भी आप गुजरें, ताकि सही और भेदभाव के बिना सेलेक्शन किया जा सके।

श्री एम. वेंकैया नायडुः सभापति महोदय, इसमें भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रदेश सरकारों ने इन शहरों को चुना है। प्रदेश सरकारों ने अपने स्तर पर कुछ yardsticks के आधार पर चयन करके सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना परिवर्तन उसको स्वीकार किया है। उसमें इतना ही है कि पहले साल 20, अगले साल 40 और अगले साल 40 तो पहले साल 20 क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने सोचा कि यह निर्णय मंत्री करे, तो फिर लोग इसकी आलोचना करेंगे, क्योंकि कुछ गलती भी हो सकती है। इसलिए हमने एक इंटरनेशनल टीम और एक नेशनल टीम, ऐसी 6 टीमों का गठन किया। उन लोगों ने कुछ पैरामीटर्स बनाकर उनके आधार पर अध्ययन करके उसमें मार्क किया और मार्क के हिसाब से, कौन सी सिटी फर्स्ट राउंड में आनी चाहिए, ऐसी बीस सिटीज़ का सेलेक्शन हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Thank you Venkaiahji. I am afraid the Question Hour is over. The House is adjourned till 2.00 p.m.